न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

225RTA2023-045(GCMS2023-88)

1. मुल्तानसिंह पुत्र बादरराम
2. हापुराम पुत्र बादरराम
   सभी. जाति माली, निवासीगण साथीन
   तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. गंगाराम पुत्र चौथाराम जाट
2. लुम्बाराम पुत्र चौथाराम जाट
   निवासीगण ग्राम नानण,
   तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर
3. गणपतराम पुत्र गोपाराम माली
4. जबरूराम पुत्र गोपाराम माली
5. बाबूराम पुत्र गोपाराम माली
6. रूपाराम पुत्र गोपाराम माली
7. धोकलराम पुत्र बादरराम
   निवासीगण साथीन,
   तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर
8. कमला पुत्री सोनसिंह माली
9. गजेन्द्रसिंह पुत्र सोनसिंह माली
10. गणपतसिंह पुत्र सोनसिंह माली
11. पुष्पा पुत्री सोनसिंह माली
12. संतोष पुत्री सोनसिंह माली
13. सीता पुत्री सोनसिंह माली
    निवासीगण उचियार्डा बेरा
    तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर
14. प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक
    शाखा पीपाडशहर
15. राजस्थान सरकार
    जरिये तहसीलदार पीपाडशहर
    जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर दिनांक 28 दिसम्बर 2022 प्रकरण संख्या 179/2020 अनवान गंगाराम बनाम गणपतराम आदि

उपस्थित-

श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री नवीन शर्मा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 व 2
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 13

नि र्ण य

दिनांक : 17 जनवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर द्वारा प्रकरण संख्या 179/2020 अनवान गंगाराम बनाम गणपतराम आदि में पारित आदेश दिनांक 28 दिसम्बर 2022 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 14 फरवरी 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(क) के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1993 रकबा 8.1871 हैक्टेयर वाके ग्राम साथीन चक द्वितीय तक आवागमन हेतु पीपाडशहर से साथीन को जाने वाली डामर सडक से लाल स्याही से दर्शाये अनुसार रास्ता मार्क ए से बी गैरमुमकिन नाडी से होकर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 13 की खातेदारी भूमि मे से होकर 15 फीट चौडा रास्ता उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र संस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया जाकर अप्रार्थीगण को जबाब पेश करने का अवसर दिया गया और मौका रिपोर्ट तलब कर पक्षकारान की सुनवाई के बाद जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 दिसम्बर 2022 को उक्त प्रार्थनापत्र निर्णित करते हुए प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1993 तक आवागमन हेतु आराजी खसरा संख्या 1981, 1982, 1982/2 में से मौका रिपोर्ट में अंकितानुसार बिन्दु ए-बी-सी-डी कुल रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा यानि 0.973 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु घोषित की गयी और नियमानुसार प्रतिकर की राशि भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये। उक्त आदेश के खिलाफ अपीलाण्ट्स की ओर से आलोच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो की खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जो ग्राम साथीन से ग्राम खांगटा आवागमन की डामरीकृत भूमि खसरा संख्या 1968 गैरमुमकिन रास्ता के पूर्वी दिशा की ओर खसरा संख्या 1970 में से स्थित है, खसरा संख्या 1970 की दक्षिणी माठ के सहारे-सहारे रास्ता चलता है जो खसरा संख्या 1971 की भूमि (रास्ता बिन्दु ए से बी) से जुडता है। खसरा संख्या 1971/1 की भूमि के दक्षिणी दिशा की माठ के सहारे-सहारे रास्ता ग्राम नानण की सरहद भूमि के मार्क ए-बी-सी-डी-ई-एफ से होकर गुजरता है जिससे प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो का आवागमन चल रहा है। विचारण न्यायालय में मौका रिपोर्ट दिनांक 21 अगस्त 2020 अपीलाण्ट्स को सूचित किये बिना उनकी अनुपस्थिति में तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। जिसका समुचित परीक्षण किये बिना ही विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय द्वारा सुविधाजनक रास्ते की आड में नये रास्ते का आदेश पारित कर दिया गया। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो द्वारा आराजी खसरा संख्या 1982/2 व 1982 के सयुंक्त खातेदार धारादेवी पुत्री सोनसिंह का पक्षकार नहीं बनया गया। अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 की ओर से दिनांक 15 जून 2021 को प्रस्तुत जबाब को पत्रावली पर नहीं लिया गया। इसी प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी बाबत भी कोई आदेश पारित किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो निर्धारित न्यायिक प्रकिया के अनुरूप नहीं है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि खसरा संख्या 1982/2 व 1982 के संबंध में सन् 2004 से पक्षकारान के मध्य दावा विचाराधीन है जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 18 फरवरी 2006 के खिलाफ अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील दिनांक 15 जनवरी 2016 को स्वीकार की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया गया, अदालत हाजा के उक्त निर्णय के खिलाफ रेस्पो. संख्या 8 से 13 की ओर से माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष अपील की गयी, मगर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 16 नवम्बर 2017 को खारिज करते हुए अदालत हाजा के निर्णय को यथावत रखा गया। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि बाबत उक्त वाद का अंतिम निस्तारण होने तक आलौच्य प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं रहता है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने 2022(2) आरआरटी 938 उद्धरित करते हुए निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि मौके पर रेस्पो.-प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खसरा संख्या 1993 तक आवागमन का कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। खसरा संख्या 1971/1 गैरमुमकिन खान है जिसमें से रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है। जिस अन्य खसरा संख्या 1985 में अपीलाण्ट्स रास्ता होना जाहिर करते है, उसका मौका रिपोर्ट में कोई उल्लेख ही नहीं है। रेस्पो.-प्रार्थीगण द्वारा जिन खसरान की भूमि में से रास्ता मांगा, विचारण न्यायालय द्वारा उसकी बजाय मौका रिपोर्ट के आधार पर न्यूनतम दूरी का रास्ता प्रदान किया गया है। मु. धायादेवी द्वारा स्वयं को पक्षकार नहीं बनाये जाने बाबत कोई उज्र-एतराज नहीं किया है, ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट्स को मु. धायादेवी को पक्षकार नहीं बनाये जाने के संबंध में किसी प्रकार का एतराज करने का कोई अधिकार नहीं है।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का गम्भीरतापूर्वक आद्योपान्त अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो की ओर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(क) के तहत प्रार्थनापत्र पेश कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1993 रकबा 8. 1871 हैक्टेयर वाके ग्राम साथीन चक द्वितीय तक आवागमन हेतु पीपाडशहर से साथीन को जाने वाली डामर सडक से लाल स्याही से दर्शाये अनुसार रास्ता मार्क ए से बी गैरमुमकिन नाडी से होकर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 13 की खातेदारी भूमि मे से होकर 15 फीट चौडा रास्ता उपलब्ध कराये जाने निवेदन किया गया। अप्रार्थी-अपीलाण्ट मुल्तानसिंह की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थनापत्र का जबाब पेश किया गया, जिसमें मौके पर प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

व दो की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1993 तक आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता होना अंकित करते हुए जाहिर किया गया है कि ग्राम साथीन से ग्राम खांगटा आवागमन की डामरीकृत भूमि खसरा संख्या 1968 गैरमुमकिन रास्ता के पूर्वी दिशा की ओर खसरा संख्या 1970 में से स्थित है, खसरा संख्या 1970 की दक्षिणी माठ के सहारे-सहारे रास्ता चलता है जो खसरा संख्या 1971 की भूमि (रास्ता बिन्दु ए से बी) से जुडता है। खसरा संख्या 1971/1 की भूमि के दक्षिणी दिशा की माठ के सहारे-सहारे रास्ता ग्राम नानण की सरहद भूमि के मार्क ए-बी-सी-डी-ई-एफ से होकर गुजरता है जिससे प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो का आवागमन चल रहा है।

इसी प्रकार विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत जबाब दिनांक 26 अक्तूबर 2020 में भी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1993 तक आवागमन हेतु एक वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 1985 से 1984 में दक्षिणी माठ के सहारे-सहारे खसरा संख्या 1990 के आरम्भ में पश्चिम दिशा में होकर खसरा संख्या 1992तक की सीमा तक मौके पर चालू होना तथा दूसरा वैकल्पिक रास्ता साथीन मुख्य सडक से खसरा संख्या 1970,1971 के दक्षिणी माठ से होते हुए खसरा संख्या 1971/1 से होकर खसरा संख्या 1975 की पूर्वी माठ के सहारे-सहारे उत्तर दिशा के आगे पूर्व दिशा में ग्राम नानण की सीमा से होते हुए प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमा तक उपलब्ध होना जाहिर किया गया है।

मामले में विचारण न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने पर विदित होता है कि उक्त मौका रिपोर्ट अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जबाब-प्रार्थनापत्रों के पहले ही दिनांक दिनांक 21 अगस्त 2020 को तैयार की गयी है, जिसमें अन्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वैकल्पिक रास्तो के संबंध में कोई जिक नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में मामले के वास्तविक तथ्यों एवं मौके की वस्तुस्थिति अभिलेख पर लिये जाने हेतु पुनः मौका रिपोर्ट तलब करना न्यायहित में आवश्यक होते हुए भी विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

मौका रिपोर्ट दिनांक 21 अगस्त 2020 का अवलोकन करने से उसमें खसरा संख्या 1982 की सहखातेदार धाया पुत्री सोनसिंह को पक्षकार नहीं बनाया जाना जाहिर किया गया है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थी-रेस्पो. गंगाराम पुत्र चौथाराम द्वारा खसरा संख्या 1982 की सहखातेदार धायादेवी पुत्री सोनसिंह को पक्षकार कायम किये जाने हेतु दिनांक 15 जून 2021 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र भी उपलब्ध है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा इस प्रार्थनापत्र बाबत समुचित कार्यवाही किये बिना एवं कोई निष्कर्ष पारित किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 दिसम्बर 2022 अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मामले में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी व अन्य प्रार्थनापत्रों (यदि कोई हो) का विधिवत निस्तारण किया जावे और सभी पक्षकारान को पूर्व सूचित करते हुए पुनः मौका रिपोर्ट तलब की जाकर मौके पर वैकल्पिक रास्ता बाबत वस्तुस्थिति अभिलेख पर ली जाकर निर्धारिक विधिक प्रकिया एवं संबंधित विधिक प्रावधानों की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पालना सुनिश्चित करते हुए मूल प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का न्यायोचित निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर